

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. सुरेश कुमार पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 722/2025
जीसीएमएस नं0 2025/1394


आदेश

दिनांक -14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम हरजनपुरा पटवार हल्का बासडीखुर्द तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 81 में प्रार्थी की माता का गलत दर्ज नाम "मक्खन पत्नी सरदारा" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "मरवण पत्नी सरदारा" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)